कार्यालय मुख्य वनसंरक्षक बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर (छ.ग.)

सिंधी कॉलोनी, जरहाभाठा, बिलासपुर (छ.ग.) पिन कोड–495001

फोन : 07752–227624, फैक्स : 07752–221385 E-mail : ccf.bilaspur-cg@gov.in

क्रमांक/तक.अधि./2018/~~813~~ 941 **बिलासपुर/दिनांक-04/06/2018**

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू–प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी व.सं.म. 1980
रायपुर छ.ग.

विषयः– दिव्यांग एवं बालिका विद्यालय स्याहीमुड़ी हेतु 4.34 हे. वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत वनभूमि व्यपवर्तन प्रस्ताव बाबत्। **पंजीयन क्र. FP/CG/SCH/33063/2018**

संदर्भः– आपका पृष्ठांकन क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध/115–728/1560, दिनांक 23.05.2018

''''''''''00''''''''''

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कोरबा द्वारा दिव्यांग एवं बालिका विद्यालय स्याहीमुडी रकबा 4.34 हे. वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत व्यपवर्तन प्रस्ताव में आपके द्वारा चाही गई अतिरिक्त जानकारी का पालन प्रतिवेदन वनमंडलाधिकारी कटघोरा के द्वारा अनुशंसा उपरांत प्राप्त हुई है। जिका विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.	आपत्ति	निराकरण
1.	मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर वृत्त द्वारा प्रेषित 27 बिंदु के चेक लिस्ट में मुख्य वन सरंक्षक का हस्ताक्षर नहीं है।	हस्ताक्षर उपरांत संलग्न है।
2	प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र पृष्ठ क्रमांक 26 में वृक्षो की संख्या निरंक लेख किया गया है परंतु वन मंडलाधिकारी के स्थल निरीक्षण एवं आन लाईन 25 वृक्षों की संख्या प्रदर्शित हो रही है।	प्रकरण में ऑनलाईन सुधार कर अपलोड कर दिया गया है।
3	मुख्य वन संरक्षक कार्यालय द्वारा फार्म – ए, पार्ट–3 Recommendation Letter अपलोड नहीं किया गया है एवं ही अपलोड किया गया है।	इस कार्यालय से फार्म – ए, पार्ट–3 Recommendation Letter के साथ पुनः अपलोड किया गया है।
4.	कलेक्टर कार्यालय द्वारा एफ.आर.ए. अपलोड नहीं किया गया है।	कलेक्टर कोरबा द्वारा अपलोड किया गया है।
5	आवेदित क्षेत्र का ले आउट प्लान संलग्न नहीं है।	आवेदक विभाग द्वारा ऑनलाईन में अपलोड कर दिया गया है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

मुख्य वनसंरक्षक
बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर

पृ.क्रमांक/तक.अधि./ 942 **बिलासपुर/दिनांक-04/06/2018**

प्रतिलिपि

1. वन मंडलाधिकारी, कटघोरा, वनमंडल कटघोरा की ओर सूचनार्थ ।
2. सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कोरबा जिला कोरबा को सूचनार्थ।

मुख्य वनसंरक्षक
बिलासपुर वृत्त बिलासपुर

कार्यालय मुख्य वनसंरक्षक बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर (छ.ग.)

सिंधी कॉलोनी, जरहाभाठा, बिलासपुर (छ.ग.) पिन कोड–495001

फोन : 07752–227624, फैक्स : 07752–221385 E-mail : cfbilaspur@rediffmail.com

क्रमांक/तक/ 852 */बिलासपुर/दिनांक* -10-5-18

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) एवं,
नोडल अधिकारी, व.सं.अ.–1980,
रायपुर, छत्तीसगढ़।

विषय :– Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 proposed diversion of forest land for village Shyhimudi Block-Katghora, District Korba, C.G. - Regarding

पंजीयन कोड क्रमांक - FP/CG/SCH/33063/2018

संदर्भ :– आपका पत्र क. /विविध/1184 दिनांक 12.04.2018

––00––

विषयांकित प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम–1980, के दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट के अनुसार, वनमण्डलाधिकारी कटघोरा से अनुशंसा उपरांत, संदर्भित ज्ञापन से इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। उक्त प्राप्त प्रस्ताव का इस कार्यालय के परीक्षण उपरांत, प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

1. आवेदनकर्ता मे. सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कोरबा जिला–कोरबा द्वारा कोरबा जिले के कटघोरा वनमण्डल में संरक्षित वन कक्ष क्रमांक P533 की कुल 4.34 हेक्ट. की मांग ग्राम स्याहीमुड़ी में दिव्यांग एवं बालिका विद्यालय निर्माण हेतु की गई है।

2. आवेदनकर्ता द्वारा, प्रस्ताव में शासन आदेशानुसार, पंजीयन एवं प्रोसेसिंग शुल्क हेतु 24000/– रूपये जमा कराये गये है।

3. Diversion हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का घनत्व 0.2 से कम है एवं इसमें मिश्रित प्रजाति के 25 वृक्ष खड़े है एवं वन की Site Quality - IVA है।

4. व्यपवर्तन (Diversion) हेतु प्रस्तावित वन भूमि का मुख्य वन संरक्षक / वनमण्डलाधिकारी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है। निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार :–

    (iii) प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य (दिव्यांग एवं बालिका विद्यालय निर्माण) हेतु मांग की जा रही वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई भी गैर वन भूमि विकल्प के रूप में उपलब्ध नही है।

(iv) व्यपवर्तन (Diversion) हेतु प्रस्तावित वन भूमि की मांग न्यूनतम है।

5. प्रस्तावित परियोजना के क्रियान्वयन हेतु, संबंधित ग्राम पंचायतों के अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।

6. प्रकरण में प्रभावित वन भूमि के बदले में राजस्व वनक्षेत्र में दुगने बिगड़े वनक्षेत्र में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित किया गया है।

7. वैकल्पिक वृक्षारोपण चयनित बिगड़े वन भूमि की वृक्षारोपण हेतु उपयुक्ता का वनमण्डलाधिकारी का प्रमाण पत्र एवं साथ ही इस बिगड़े वन भूमि पर स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना रूपये 600244/— प्रति हेक्टेयर की दर से तैयार कर संलग्न है।

8. Diversion हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र के आसपास कोई ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मुर्ति न होने संबंधी वनमण्डलाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है।

9. परियोजना का Cost Benefit Analysis आवश्यक नहीं है।

10. प्रस्तावित गैर वानिकी परियोजना में आवेदनकर्ता द्वारा संरक्षण अधिनियम, 1980 के नियम 3B का उल्लंघन नहीं किया है।

11. आवेदित क्षेत्र किसी Ecological Sensitive क्षेत्र (Biosphere Reserve, प्राकृतिक झील/वाटर बॉडी, आदिवासी सैटलमेंट, धार्मिक स्थल) की सीमा के 10 कि.मी. के अंतर्गत नहीं है। वनमण्डलाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है।

12. आवेदित वन भूमि किसी उद्यान एवं किसी वन्य प्राणी अभ्यारण्य का भाग नहीं है एवं आवेदित वन भूमि की सीमा से 10 कि.मी. की परिधि में कोई संरक्षित वन क्षेत्र नहीं है। वनमण्डलाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है।

13. आवेदक द्वारा शासन निर्देशानुसार 4.34 हे. वन भूमि की इको क्लास के अनुसार शासन द्वारा निर्धारित दर से प्रत्याशा मूल्य (NPV) जमा करने हेतु वचन पत्र दिया है।

14. मिश्रित रोपण योजना के क्रियान्वयन हेतु आवेदनकर्ता का वचन पत्र संलग्न है।

अनुशंसित प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के मार्गदर्शिका सिद्धांतों के अनुरूप सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर Diversion प्रस्ताव भारत सरकार से प्रथम चरण स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव 4 प्रतियों में संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :— प्रस्ताव 4 प्रतियों में।

मुख्य वन संरक्षक
बिलासपुर वृत्त बिलासपुर

पृ.क्रमांक /मा.चि/ 853 **बिलासपुर, दिनांक** 10.5.18

प्रतिलिपि :—

1. वनमण्डलाधिकारी, कटघोरा वनमण्डल, कटघोरा (छ.ग.)
2. आवेदनकर्ता मे. सहायक आयुक्त आदिवासी विकास जिला—कोरबा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक
बिलासपुर वृत्त बिलासपुर

मुख्य वनसंरक्षक अधिनियम, 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव

(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग–3

(संबंधित वनसंरक्षक द्वारा भरा जाना है)

---

14. स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित मुख्य वनसंरक्षक ने निरीक्षण किया है। (हॉं/नही) यदि हॉं तो निरीक्षण की तारीख और किए गए प्रक्षेणों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

आवेदक सहायक आयुक्त आदिवासी विकास ज़िला–कोरबा द्वारा कटघोरा वनमंडल में आवेदित संरक्षित वन कक्ष क. P533 रकबा 4.34 हे. दिव्यांग एवं बालिका विद्यालय निर्माण स्थल का निरीक्षण नहीं किया गया है।

15. क्या संबंधित मुख्य वनसंरक्षक भाग (ख) में दी गई सूचना और उप वनसंरक्षक के सुझावों से सहमत है।

हाँ

16. प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित मुख्य वनसंरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

अनुशंसित

मुख्य वन संरक्षक
बिलासपुर वृत्त बिलासपुर